उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या : 01 – विनियम एवं काविनी–29/ पाकालि/2021–7–विनियम / 88 दिनांक 01 जनवरी, 2021

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप सं0–179–विनियम एवं काविनी–29/पाकालि/2019–07–विनियम/88 दिनांक 30.03.2019 द्वारा कला संवर्ग के अन्तर्गत वर्तमान में बचे हुए तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत कार्मिकों को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित कोटा 1.33 प्रतिशत (विद्युत एवं यान्त्रिक) + 1.33 प्रतिशत (सिविल) को प्रोन्नति के माध्यम से तकनीकी अधिकारी पद पर चयन किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत प्राविधान एवं मापदण्ड पुनर्विचारोंपरान्त उचित एवं व्यवहारिक न पाये जाने के कारण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 09.12.2020 को सम्पन्न 162 (37)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा निष्प्रभावी घोषित किये जाते हैं।

2. उपर्युक्त के फलस्वरूप उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970 (यथा संशोधित) एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–173–विनियम एवं काविनी/पाकालि/2014–05–विनियम/88 (टीसी) दिनांक 28.11.2014 द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर (विद्युत एवं यान्त्रिक) संवर्ग में प्रोन्नति हेतु निर्धारित 1.33 प्रतिशत कोटा को अन्य प्रोन्नत श्रेणियों में समानुपातिक रूप से मर्षित माना जायेगा। तद्नुसार नीचे स्तम्भ–1 में उल्लिखित वर्तमान प्राविधान परिवर्तित स्थितियों में स्तम्भ–2 में उल्लिखित प्राविधानों से प्रतिस्थापित किये जाते हैं :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान प्राविधान)	स्तम्भ–2 (प्रतिस्थापित प्राविधान)
उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970 (यथा संशोधित)	**उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970 (यथा संशोधित)**
विनियम–5 भर्ती का स्त्रोत	**विनियम–5 भर्ती का स्त्रोत**
1. सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गो में विभाजित रहेगें तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग–अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होगें उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :–	1. सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गो में विभाजित रहेगें तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती/ प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग–अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होगें उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :–
(क) 50–1/3 प्रतिशत – प्रशिक्षित अभियन्ताओं में से सीधी भर्ती हेतु।	(क) **50.34 प्रतिशत** – प्रशिक्षित अभियन्ताओं में से सीधी भर्ती हेतु।
(ख) 40 प्रतिशत – अवर अभियन्ता से प्रोन्नति द्वारा चयन वर्ग के सदस्यों से परिशिष्ट–ग में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु।	(ख) **41.10 प्रतिशत** – अवर अभियन्ता से प्रोन्नति द्वारा चयन वर्ग के सदस्यों से परिशिष्ट–ग में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु।
(ग) 1–1/3 प्रतिशत – स्थाई एवं अर्ह संगणकों (चयन वर्ग) विद्युत एवं यान्त्रिक से परिशिष्ट–ग में विहित रीति के अनुसार।	–विलुप्त–
(घ) 8–1/3 प्रतिशत–डिग्री धारी अवर अभियन्ता/संगणक से प्रोन्नति हेतु एसे अवर अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षो की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो।	(ग) **8.56 प्रतिशत** – डिग्री धारी अवर अभियन्ता से प्रोन्नति हेतु ऐसे **अवर अभियन्ता** जो बी0ई0/ ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त हों तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर

d:\kavini files\viniyam files 329\1988\7-viniyam - 88\letter.doc

(क्रमशः 2)

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त (घ) के विरूद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या, अवर अभियन्ता व संगणकों में से बांटी जायेगी जो उपर्युक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।	अभियन्ता पद पर 10 वर्षो की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो।
उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा विनियमावली–1970 (यथा संशोधित)	**उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा विनियमावली–1970 (यथा संशोधित)**
विनियम–5 भर्ती का स्त्रोत	**विनियम–5 भर्ती का स्त्रोत**
1. सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गो में विभाजित रहेगें तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग–अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होगें उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :–	1. सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गो में विभाजित रहेगें तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग–अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होगें उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :–
(क) परिशिष्ट–क में वर्णित नियम व रीति के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा – 50–1/3 प्रतिशत।	**(क)** परिशिष्ट–क में वर्णित नियम व रीति के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा – 50–1/3 प्रतिशत।
(ख) परिशिष्ट–ख में वर्णित रीति के अनुसार अवर अभियन्ता (सिविल) से पदोन्नति द्वारा– 40 प्रतिशत।	**(ख)** परिशिष्ट–ख में वर्णित रीति के अनुसार अवर अभियन्ता (सिविल) से पदोन्नति द्वारा – 40 प्रतिशत।
(ग) परिशिष्ट–ख में वर्णित रीति के अनुसार स्थाई व अर्हता प्राप्त संगणकों (प्रवरण) श्रेणी (सिविल) से पदोन्नति द्वारा ... 1–1/3 प्रतिशत।	**(ग)** परिशिष्ट–ख में वर्णित रीति के अनुसार स्थाई व अर्हता प्राप्त संगणकों (प्रवरण) श्रेणी (सिविल) से पदोन्नति द्वारा ... 1–1/3 प्रतिशत।
(घ) डिग्री धारी अवर अभियन्ता/संगणक से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/संगणकों जो बी0ई0/ ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त हो तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षो की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो ... 8–1/3 प्रतिशत। प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त (घ) के विरूद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या, अवर अभियन्ता व संगणकों में से बांटी जायेगी जो उपर्युक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।	**(घ)** डिग्री धारी अवर अभियन्ता/संगणक से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/संगणकों जो बी0ई0/ ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त हो तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षो की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो ... 8–1/3 प्रतिशत। प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त (घ) के विरूद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या, अवर अभियन्ता व संगणकों में से बांटी जायेगी जो उपर्युक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।

3. उक्त संशोधन के निर्गतोंपरान्त उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970 (यथा संशोधित) को उक्त सीमा तक संशोधित मानते हुए अन्य समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगें। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता (सिविल) सेवा विनियमावली–1970 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत 1.33 प्रतिशत कोटे की प्राविधानित व्यवस्था यथावत् रहेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

(क्रमशः..3)

संख्या: 01 –(I)–विनियम एवं का0वि0नी0 /पा0का0लि0/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
5. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (मु0), लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/ मेरठ/लखनऊ/आगरा/केस्को–कानपुर।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
11. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
12. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 09.12.2020 को सम्पन्न 162(37)वीं बैठक में पारित किये गये निर्णय के अनुपालन में।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (काविनी)